GOVERNMENT OF INDIA (Bharat Sarkar)
MINISTRY OF RAILWAYS (Rail Mantralya)
(RAILWAY BOARD)

No. 2001/TG-I/20/P **New Delhi, dated 11.09.2015**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 54 OF 2015)

Sub: Earmarking of separate reservation counters for ladies.

Please refer to this office letter of even No. dated 06.09.2001 (CC No. 54/2001) wherein detailed instructions regarding earmarking of separate reservation counter for ladies were circulated to all zonal Railways. This issue has also been considered by the Cabinet Committee on Empowerment of Women (2014-15) who has again emphasized the need for the same and has observed that if it is not possible to earmark exclusive counters for women in certain reservation centers/ Railway Stations owing to lack of computerization or shortage of manpower or less volume of women commuters, women passengers may be attended separately at the same counter by displaying information board that the women passengers can form a separate queue to buy journey tickets and also platform ticket at respective counters.

2. In para (c) of the instructions dated 06.09.2001 referred to above, the issue raised by Cabinet Committee on Empowerment has already been addressed, however the instructions contained in the letter referred to above are reiterated as well as amplified for the information of all concerned:-

a) At computerized reservation office, a separate reservation counter should be earmarked for ladies if the average demand per shift is not less than 120 tickets.

b) In case, there is no justification for earmarking of exclusive counter for ladies, the requests received from ladies should be dealt with along with the reservation requests of the specific categories viz. senior citizen, physically handicapped, ex.MPs, MLAs, accredited journalists, freedom fighters etc.

c) At those reservation offices where separate reservation counters have not been earmarked for ladies and also those locations which have not been computerized, ladies/female passengers should not be compelled to join the general queues and be attended to separately at the same counter as for general passengers. A suitable notice board about the availability of this facility should also be displayed near the reservation counter. This facility will however be available only from 1130 hours to avoid misuse of this facility by unscrupulous

-2-

elements to block accommodation during opening hours of general and Tatkal reservation.

d) Ladies may be allowed to purchase tickets from these reservation counters irrespective of persons for whom the reservation is being sought. However, no other persons will be allowed to purchase ticket for them from these counters.

e) As far as earmarking of separate unreserved ticket counters for ladies, zonal Railways may assess the demand and do the needful based on the same.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board.

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all zonal railways.
2. ADG/PR, EDV(T), EDF(C), DF(C), OSD/TC, F(C) &V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC, 11th Floor, Statesman House, Barakhambha Road, New Delhi.
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Bhuli/Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, SC Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, North Western Railway , Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.365-A, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No.549, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2001/टीजी-I/20/पी

नई दिल्ली, दिनांक 11.09.2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 54)

विषय: महिलाओं के लिए अलग आरक्षण काउंटर निर्धारित करना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 06.09.2001 के समसंख्यक पत्र (2001 का वाणिज्य परिपत्र सं. 54) का अवलोकन करें जिसमें सभी क्षेत्रीय रेलों को महिलाओं के लिए अलग आरक्षण काउंटर निर्धारित करने से संबंधित विस्तृत अनुदेश परिपत्रित किए गए थे। इस मुद्दे पर महिला सशक्तिकरण मंत्रिमडल समिति (2014-15) द्वारा भी विचार किया गया है, जिसने फिर से इसकी आवश्यकता पर जोर दिया है और यह कहा है कि यदि कंप्यूटरीकरण के न होने अथवा कर्मचारियों की कमी अथवा महिला यात्रियों की संख्या कम होने के कारण कतिपय आरक्षण केन्द्रों/रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के लिए विशिष्ट काउंटर निर्धारित करना संभव न हो तो महिला यात्रियों को उसी काउंटर पर यह सूचना बोर्ड लगाकर अलग से अटेंड किया जा सकता है कि महिला यात्री संबंधित काउंटरों पर यात्रा टिकटें और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने के लिए भी अलग लाइन लगा सकती हैं।

2. उपर्युक्त संदर्भित दिनांक 06.09.2001 के अनुदशों के पैरा (ग) में महिला सशक्तिकरण मंत्रिमंडल समिति द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर पहले ही कार्रवाही कर दी गई है। बहरहाल, सभी संबंधितों की सूचना के लिए उपर्युक्त संदर्भित पत्र में निहित अनुदेश दोहराए जाते हैं और इनका विस्तार किया जाता है:-

(क) कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय में यदि प्रति शिफ्ट औसत मांग 120 टिकटों से कम न हो तो महिलाओं के लिए एक अलग आरक्षण काउंटर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ख) यदि महिलाओं के लिए विशिष्ट काउंटर को निर्धारित करने का कोई औचित्य न हो तो महिलाओं से प्राप्त अनुरोध पर विशिष्ट कोटियों अर्थात् वरिष्ठ नागरिक, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, पूर्व संसद सदस्यों, विधायकों, मान्यताप्राप्त पत्रकारों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के आरक्षण अनुरोधों के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ग) उन आरक्षण कार्यालयों में जहां पर महिलाओं के लिए अलग आरक्षण काउंटर निर्धारित नहीं किए गए हैं तथा उन स्थानों, जिन्हें कंप्यूटरीकृत नहीं किया गया है, पर स्त्री/महिला यात्रियों को सामान्य लाइनों में लगने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें उसी काउंटर पर सामान्य यात्रियों की भांति अलग से अटेंड किया जाना चाहिए। इस सुविधा की उपलब्धता के बारे में एक उपयुक्त नोटिस बोर्ड भी आरक्षण काउंटर के समीप लगाया जाना चाहिए। बहरहाल,

अनैतिक तत्वों द्वारा जनरल तथा तत्काल आरक्षण के खुलने के समय के दौरान सीटों को ब्लॉक करने के दुरुपयोग से बचने के लिए यह सुविधा केवल 11:30 बजे से उपलब्ध होगी।

(घ) इस बात का ध्यान किए बिना कि आरक्षण किन व्यक्तियों के लिए मांगा जा रहा है महिलाओं को इन आरक्षण काउंटरों से टिकट खरीदने की अनुमति दी जाए। बहरहाल, इन काउंटरों से किसी अन्य व्यक्ति को उनके लिए टिकट खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ङ) जहां तक महिलाओं के लिए अलग अनारक्षित टिकट काउंटर निर्धारित करने का संबंध है, क्षेत्रीय रेलों द्वारा मांग का आकलन किया जाए और इस आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. एडीजी/पीआर, कार्यपालक निदेशक सतर्कता(टी), कार्यपालक निदेशक वित्त(सी), निदेशक वित्त (सी), विशेष कार्याधिकारी/टीसी, वित्त (सी), एवं सतर्कता (एसएस), शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
3. प्रबंधक निदेशक/आईआरसीटीसी, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।
4. महाप्रबंधक/ पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भूली, धनबाद, उत्तर रेलवे/ चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/ मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे, सीनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
7. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ - 2260011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं 365-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 549, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता - 71.